इन सदस्यों को स्वच्छता एवं शुद्धता रखने के लिए समय समय पर खाद्य विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है एवं उन नियमों के अनुपालन का कड़ाई से ध्यान रखा जाता है। कंपनी में उत्पाद की गुणवत्ता हेतु आवश्यक परीक्षण कराये गये है एवं खाद्य विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उत्पादन का कार्य सुचारू रूप से संचालित किया जा रहा है। जूस उत्पादन की चरणबद्ध प्रक्रिया निम्न प्रकार है:

पत्ती की धुलाई (स्वच्छ जल में कम से कम तीन बार)

पत्तियों को किनारे (काटेदार) एवं ऊपर व नीचे के भाग को काट कर अलग करना

पत्तियों के छोटे-छोटे टुकड़े करना

पत्तियों के ऊपरी आवरण को हटाना

सफेद गूदे को स्टेन्लेस स्टील के बर्तन में एकत्र करना

मशीन के ग्राइण्डर में डालना ग्राइण्डर से वह स्वयं खुले चलनी से छन कर फिल्टर में चला जाता है

वहाँ से वह स्टोरेज टैंक में चला जाता है, जहां उसका पॉयश्च्यूराइजेशन होता है

पॉस्च्यूराइज्ड जूस ठण्डा होने के बाद निकालकर, उसमें साइट्रिक एसिड एवं प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है।

तदुपरान्त साफ बोतलों में इसे पैक कर देते है। बोतलों पर स्टीकर लगा कर उसे कंपनी के विपणन विभाग में भेज दिया जाता है।

विपणन:

विपणन हेतु उपयुक्त वैधानिक गतिविधियाँ पूर्ण कर कंपनी राजस्थान में जूस का विक्रय कर रही है। जूस विक्रय हेतु कंपनी ने थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेताओं की कड़ी तैयार कर रही है जिसके माध्यम से जूस का सुगमता से विक्रय किया जा सकें।

ग्रामीण ऐलोय् प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

भण्डारी सदन (पेट्रोल पम्प के पीछे) ग्राम एवं पोस्ट : जवाजा

जिला : अजमेर (राजस्थान)

संपर्क : +91 – 9928440898, +91 – 9460111003

ई मेल: ceo@gapcl.co.in, manager@gapcl.co.in

प्रोत्साहन: ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज, जवाजा

पृष्ठभूमि:

ग्रामीण ऐलोय् प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की औपचारिक स्थापना 19 जनवरी 2009 को भारत सरकार के कंपनी पंजीकरण अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा हुयी। कंपनी का व्यवसायिक कार्यालय अजमेर जिले के जवाजा विकास खण्ड में स्थित है। यह राजस्थान की पहली पूर्णतया महिला स्वामित्व वाली कंपनी है, जिसके समस्त शेयरधारक जवाजा विकास खण्ड के विभिन्न गांवों की स्वयं सहायता समूह की महिलायें है।

कंपनी की स्थापना के बीज वस्तुत: वर्ष 2004 में ही पड़ गये थे, जब लखनऊ स्थित एक गैर सरकारी विकास संगठन ''ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज'' ने जवाजा क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों के गठन एवं उनके क्षमतावर्धन का कार्य प्रारम्भ किया था। संस्था ने क्षेत्र के सूक्ष्म अध्ययन के उपरान्त इन समूहों की आजीविका संवर्धन हेतु उनके बंजर, पथरीली एवं बेकार पड़ी भूमि पर वर्ष 2006 से ग्वारपाठा की खेती को प्रोत्साहित किया, इसका एक यह भी उद्देश्य रहा कि महिला उद्यमिता का विकास हो एवं उन्हें गैर कृषि योग्य भूमियों से आय प्राप्ति भी हो। इसकी खेती के साथ ही इससे बनने वाले उत्पादों एवं इसके बाजार की तलाश शुरू हुयी। महिला किसानों ने भी संस्था के प्रयास में कदम से कदम मिलाते हुए एक ऐसे संगठन की इच्छा प्रकट की, जिसका संचालन एवं प्रबंधन उनके द्वारा हो एवं वह उनके संगठन के नाम से जाना जाये, उसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की हिस्सेदारी हो और जिसके माध्यम से ग्वारपाठा को एक लाभकारी व्यवसाय का रूप दिया जा सके एव इन महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सकें। संस्था के सहयोग से विभिन्न अध्ययनों एवं विश्लेषण के पश्चात् समुदाय से विचार विमर्श कर ग्वारपाठा की खेती करने वाली महिला किसानों की एक कंपनी के गठन की प्रक्रिया वर्ष 2008 में प्रारम्भ हुयी। अंतत वर्ष 2009 के पहले माह की 19 तारीख को कंपनी औपचारिक रूप से अस्तित्व में आयी।

कंपनी की स्थापना के साथ ही एक उपयुक्त व्यवसाय के रूप में ग्वारपाठा के जूस उत्पादन हेतु यू०एन०डी०पी-भारत सरकार की मदद से एक प्रसंस्करण इकाई की स्थापना अगस्त 2009 में संपन्न हुयी। विभिन्न तकनीकी संस्थानों से जूस के गुणवत्ता संबंधी विश्लेषण एवं खाद्य विशेषज्ञों की सलाह के साथ जूस उत्पादन का कार्य संपादित हो रहा है। जूस के विक्रय हेतु राजस्थान में विक्रय चैनल बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए एक मार्केटिंग प्रोफेशनल की सेवाए कंपनी ले रही है। इस संपूर्ण कार्य में संस्था द्वारा तकनीकी एवं विपणन हेतु यथा संभव क्षमतावर्धन एवं सूचनाए कंपनी को उपलब्ध करायी जा रही है। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि समुदाय कि इच्छा शक्ति, विकास कार्यों में संलग्न संगठनों हेतु दिशा प्रेरण का कार्य करती है, जो कि समुदायों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होती है।

ग्वारपाठा की खेती:

ग्वारपाठा की खेती को ग्वारपाठा उत्पादक समूहों के गठन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्वारपाठा की उन्नत खेती संबंधी एक प्रसार पुस्तिका भी प्रकाशित की गयी है। जिसके माध्यम से प्रसार कार्यकर्त्ता समय समय पर महिला किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करते है। इसकी खेती में जल संरक्षण संरचनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे कि पौधों की जल आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके क्योकि अधिकांश किसान इसकी खेती अपने बंजर एवं पथरीली जमीन पर कर रहे है जहां सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। वर्तमान में ऐसे 50 समूहों के गठन के साथ इसकी खेती को प्रोत्साहित किये जाने का लक्ष्य है।

प्रसंस्करण इकाई:

प्रसंस्करण इकाई में सीमैप द्वारा प्रशिक्षित एक प्लांट इन्चार्ज नियुक्त है, जिनकी देखरेख में जूस का उत्पादन किया जा रहा है। जूस उत्पादन में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों एवं कंपनी के बोर्ड आफ मेम्बर द्वारा श्रम किया जाता है, जिसके एवज में कंपनी उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी प्रदान करती है।